दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ *वर्ष 57* ❑ *अंक-12* ❑ *दिल्ली* ❑ *अप्रैल 2019 (प्रथम)* ❑ *मूल्य : 2 रु.*

17वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तिथियों की घोषणा, मतदान सात चरणों में

चुनाव आयोग ने 10 मार्च को आम चुनाव का बिगुल बजा दिया। आयोग ने लोकसभा की कुल 543 सीटों पर सात चरणों में चुनाव का एलान किया है। देश में 11, 18, 23, 29 अप्रैल एवं 6, 12 और 19 मई को वोट डाले जायेंगे। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में ही मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम के एलान के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। सभी चरणों की वोटिंग की गिनती एक साथ 23 मई को होगी। उसी दिन नतीजों का एलान किया जायेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने घोषणा की कि 17वीं लोकसभा के गठन के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके। चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्रा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि देश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपीएटी युक्त ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले प्रत्येक सीट के किसी एक मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी को इस्तेमाल किया जा रहा था। वीवीपीएटी की मदद से मतदाता को उसके मतदान की पर्ची देखने को मिलती है।

आयोग ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना 18 मार्च को जारी कर दी है। समूची चुनाव प्रक्रिया 27 मई को संपन्न करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस आम चुनाव में 90 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 2014 से अब तक 8.4 करोड़ मतदाता बढ़े हैं। डेढ़ करोड़ मतदाता 18 से 19 साल के हैं। बीते चुनाव में 81 करोड़ वोटर थे।

वर्ष 2014 में नौ चरणों में मतदान हुआ था। तब पहले चरण के वोट सात अप्रैल को पड़े थे। आखिरी चरण के मतदान 12 मई को कराए गए थे। 16 मई को नतीजों का एलान किया गया था और 26 मई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में छह चरणों में मतदान हुआ था।

चार राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव कराने का एलान किया है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना भी लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ 23 मई को होगी। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के क्रम में बताया कि सातों चरण के मतदान के दौरान पहले चरण में **11 अप्रैल को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा सीटों के साथ ही इन राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा।** ओड़िशा में लोकसभा चुनाव के लिए चार चरण में होने वाले मतदान के दिन ही विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा। इसके तहत राज्य में 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को लोकसभा सीटों के साथ ही विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों के लिए पांच चरण में मतदान होगा। वहां विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाएंगे। पिछले साल नवंबर में जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग किए जाने के बाद मई से पहले राज्य में चुनाव कराना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी जटिल हालात को देखते हुए राज्य में फिलहाल लोकसभा सीटों पर ही चुनाव होगा।

आयोग ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता नहीं हो पाने के कारण राज्य में सिर्फ लोकसभा चुनाव कार्यक्रम ही घोषित करने का फैसला किया है। राज्य में सुरक्षा हालात को संवेदनशीलता का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि अनंतनाग लोकसभा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सम्पादकीय

लोकसभा चुनाव–वोट मुद्दों पर

17वीं लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसमें 543 लोसभा सीटों के लिए 90 करोड़ मतदाता अपना वोट डालेंगे। चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक सात चरणों में होंगे। 23 मई को मतपत्रों की गिनती होगी और जीती हुई सीटों पर विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी जायेगी।

2019 का चुनाव दो दलों या दो प्रतिनिधि चेहरों का नहीं, बल्कि दो महागठबंधनों का चुनाव होगा। 2014 में पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बनाने वाली भाजपा की नरेन्द्र मोदी सरकार को इस बार खोने का डर सता रहा है और वह गठबंधन करने वाली हर छोटी बड़ी पार्टी के साथ लचीला रुख अख्तियार कर रही है, वहीं उसके सामने ताल ठोंक कर खड़ी कांग्रेस पार्टी भी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को अपने गठबंधन में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और उन छोटे दलों के सामने अपनी सीटें भी छोड़ने पर आमदा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन मायावती और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बीच चुनावी गठबंधन है, उनके इस गठबंधन में चौ. अजीत सिंह की पार्टी भी शामिल है जिन्हें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से तीन लोकसभा सीट दी गई है, शेष पर बसपा व सपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पर उन्होंने अमेठी व रायबरेली सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं वहां वह अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता सुश्री ममता तथा उड़ीसा में बीजू पटनायक अपने बीजू जनता दल अपने दमखम पर भाजपा के चुनावी रथ को रोकेंगे। भाजपा जहां अपने गठबंधन में पुराने व नये साथियों के साथ चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस भी अपने गठबंधन के साथियों के साथ पूरे जोश व ताकत के साथ वर्तमान भाजपा सरकार को पटखनी देने के लिए ताल ठोक रही है।

2014 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि चुनाव में बहुमत पाकर चुनाव जीतने पर अपनी भाजपा की सरकार बनते ही वह विदेशों से काला धन वापिस लायेगी और देश के हर नागरिक के बैंक खाते में 15–15 लाख रुपया जमा करायेगी। हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देगी, महंगाई व भ्रष्टाचार खत्म करेगी। किसानों की आय दुगुनी करेगी ताकि वे कर्ज के बोझ से दबकर आत्हत्या नहीं करे। भाजपा सरकार सबका साथ लेकर सबका विकास करेगी। देश से आतंकवाद खत्म करेगी। देश में भाईचारे और धार्मिक सद्भाव को बढ़ायेगी।

भाजपा की नरेन्द्र मोदी की सरकार को पांच साल पूरे होने लगे और नई लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई। देश के लोगों ने नरेन्द्र मोदी के लुभावने नारे 'सबका साथ–सबका विकास' से प्रभावित होकर और उसके 2014 के चुनावी घोषणा पत्र पर विश्वास कर, आंख मूंद कर लामबन्द हो भाजपा को जो थोक में एक तरफा वोट दिया, वह झूठा साबित हुआ। देश की जनता 'सबका साथ–सबका विकास' का नारा देने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर अपनी आशाभरी निगाहों से देखती रही, पर उसके लिए सब धोखा साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन पांच सालों में से अधिकांश समय विदेशों की यात्रा पर रहे, और उन्होंने जिन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया उन्होंने जनता के लिए कोई ठोस काम करने की बजाय देश का साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, और लोगों को हिन्दू–मुस्लिम के खानों में बांटने और दलित, शोषित व पिछड़ी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

सम्पादकीय का शेष.....लोकसभा चुनाव–वोट मुद्दों पर

जातियों को आपस में भिड़ाने का काम किया। गाय, गोमांस, गोरक्षा के नाम पर भाजपा के गुंडे ने खुलेआम तांडव किया और सन्देह में मुस्लिमों की जान ले ली। ऊना (गुजरात) में मरी गाओं की खाल उतारते दलित युवकों को मार–मार कर अधमरा कर दिया गया। बिहार के मजदूर युवकों और कश्मीर के शाल बेचने वाले कश्मीरी युवकों के साथ भाजपा के गुंडों ने कहर ढाते हुए बुरी तरह मारपीट की। वहां की उत्तर प्रदेश व गुजरात की भाजपा सरकार ने उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाही करने के बजाय उनके मंत्रियों ने उनका फूलमाला पहनाकर अभिनन्दन किया।

इन 4–5 सालों में मोदी सरकार के मंत्रियों ने मन्दिर–मस्जिद, श्मशान और कब्रिस्तान, रामजनों–रामचोदो आदि घृणाजनक नारे खूब उछाले, प्रधानमंत्री ने उन पर कोई कार्रवाई न करके चुप्पी साधे रहे। इससे देश का वातावरण इतना बिगड़ा कि अपने ही देश में दलित, शोषित, अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित व भयभीत समझने लगा।

मोदी सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया। अधिकांश सरकारी मंत्रालयों और शिक्षा संस्थानों को प्राइवेट संस्थानों को सौंप दिया, जिस कारण शिक्षा पाना महंगा हो गया। वहां नौकरियों में आरक्षण न होने के कारण और सरकारी विभागों में नौकरी के पद के अभाव में दलितों को नौकरी में मिलने वाला आरक्षण ही खत्म हो गया। शिक्षा पाकर जो दलित युवा शिक्षण संस्थानों में नौकरी पाने की आस पाले बैठे थे, वहां सरकार ने 13 पाईंट रोस्टर प्रणाली लागू कर, उन्हें नौकरी में आरक्षण मिलने के अवसर सदा के लिए खत्म कर दिये। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही दलितों को आत्म सुरक्षा के लिए मिला सुरक्षा कवच 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट–1989' को अपराधियों के लिए जमानती बना दिये जाने पर इस एस.सी./एस.टी. एक्ट की 'शक्ति' खत्म कर दिये जाने पर यह एक्ट भी बेजान और बेकारगर हो गया। हमें धन्यवाद करना चाहिए उस 'दलित एकता' को जिसने 2 अप्रैल, 2018 तथा 5 फरवरी, 2019 को देश व्यापी बन्द आयोजित करके एस.सी./एस.टी. एक्ट को पुनः वही शक्ति प्रदान करने और शिक्षण संस्थानों में 13 पाईंट रोस्टर की जगह पूर्ववत् 200 पाईंट रोस्टर लागू करने की मांग की, जिसके सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और मोदी सरकार ने विशेष अध्यादेश लाकर एस.सी./एस.टी. एक्ट तथा 13 पाईंट रोस्टर के सामने 200 पाईंट रोस्टर प्रणाली लागू की।

भाजपा की नरेन्द्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका, शिक्षा संस्थान, रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), सी.बी.आई, शासन–प्रशासन प्रणाली सब कमजोर हुई। नोटबंदी से जहां ज्यादातर लोग परेशान ही नहीं, बेरोजगार हुए, वहीं, काम–काज, कल–कारखाने धन के अभाव में बंद हुए और उनके मालिक पैसे–पैसे के मोहताज हुए, वहीं 'जी.एस.टी.' (गुडस एंड सर्विस टैक्स) की नई दरों ने 'नोटबंदी' के बाद जो छोटे–छोटे धन्धे चल रहे थे, वे भी बन्द हो गये, उनकी दुकानों पर ताले पड़ गये, वहां मजदूरी करने वाले भुखमरी से बचने के लिए सपरिवार अपने गांवों को पलायन कर गये। इन सबके विरुद्ध आवाज उठाने और अपील करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हमेशा यही कहना रहा–'अभी कुछ दिन रुक जाओ, अच्छे दिन आने वाले हैं।' अब 5 साल मोदी सरकार के पूरे होने लगे हैं। न अच्छे दिन देश की गरीब जनता के आये, न किसानों के, न पढ़े लिखे नौजवानों के, खाने–पीने, पहनने–ओढ़ने की सब चीज महंगी, शिक्षा महंगी, दवाई महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस का चूल्हा महंगा।

भाजपा की मोदी सरकार की राजधानी दिल्ली के जन्तर मन्तर पर जब भाजपा के कुछ गुण्डे सरेआम उस 'भारतीय संविधान' की होली जलाते हैं, और उनकी पुलिस–शासन–प्रशासन मूक बनी देखती रहती है तो क्या उनसे यह आशा रखी जा सकती है कि वे भविष्य में भी ऐसी घटना को नहीं दोहराने देंगे और जिस पर उनकी सरकार चल रही है, वे उसकी रक्षा करेंगे? हमें याद रखना होगा कि भारतीय संविधान हमारे लिए बाबा साहब डा. अम्बेडकर का प्रतीक है। जो लोग भारतीय संविधान को हटाकर वर्ण व्यवस्था की जननी मनुस्मृति को स्थापित करना चाहता है, उनसे अभी से सचेत रहना होगा।

2019 में नई सरकार चुनने के लिए करीब 90 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। इसमें 85 फीसदी वोट बहुजनों का है जो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डा. अम्बेडकर को अपना मार्गदर्शक और भगवान मानता है। हमें हर हालत में भारतीय संविधान की रक्षा करना है, इसके लिए इस चुनाव में अपना वोट डालते हुए सोचना अनादर हुआ। **आठवां है–**देश से आतंकवाद खत्म हो जायेगा–जम्मू–कश्मीर और झारखंड, छत्तीसगढ़ में अभी भी आतंकवाद और हिंसा खत्म नहीं हुई है। **नौवां है–**दलितों का बेक लॉग आरक्षण कोटा को भरने और कम्पोनेंट प्लान की आवंटित राशि को दलित कल्याण कार्यों पर खर्च करने का, पर मोदी सरकार ने इसमें कोई पहल नहीं की, बल्कि इन्हें खत्म करने की कोशिश की। **दसवां मुद्दा है–**रफाल विमाम सौदे की खरीद पर ईमानदारी की–जिसमें सरकार की एचएएल कम्पनी को सौदा न देकर मुकेश अम्बानी की प्राइवेट कम्पनी को देने में मोदी सरकार का भ्रष्टाचार नजर आता है। **ग्यारहवां मुद्दा** है–मोदी सरकार के कार्यकाल में देश से धन लेकर विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी विदेश भाग गये–इसमें अपना कर्तव्य निभाने में मोदी सरकार फेल रही।

बारहवां मुद्दा है–पुलवामा में सशस्त्र बलों पर अचानक हुआ हमला–इसमें भी 40 सैनिकों के शहीद होने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है जिसका खुफिया तंत्र फेल हुआ। 100 किलो विस्फोटक (आर.डी.एस) पदार्थ कहां से आया, सशस्त्र बल के जवानों को सेना की बख्तरबंद गाड़ियों में न

पृष्ठ 1 का शेष....17वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तिथियों की घोषणा, मतदान सात चरणों में

सीट पर तीन चरणों में मतदान कराया जाएगा।

जम्मू कश्मीर में विधानसभा का छह साल का कार्यकाल 16 मार्च 2021 तक निर्धारित था, लेकिन पिछले साल राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी–भाजपा गठबंधन टूटने के कारण विधानसभा भंग कर दी गई थी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष होता है।

पहला चरण : सीटें 91

मतदान : 11 अप्रैल

अधिसूचना : 18 मार्च

20 राज्य में : आंध्र प्रदेश (24), अरुणाचल प्रदेश (2), असम (5), बिहार (4), छत्तीसगढ़ (1), जम्मू–कश्मीर (2), महाराष्ट्र (7), मणिपुर (1), मेघालय (2), मिजोरम (1), नागालैंड (1), ओड़िशा (4), सिक्किम (1), तेलंगाना (17), त्रिपुरा (1), यूपी (8), उत्तराखंड (5), बंगाल (2), अंडमान (1), लक्षद्वीप (1), दादरा एवं नगर हवेली (1)।

दूसरा चरण : सीटें 97

मतदान : 18 अप्रैल

अधिसूचना : 19 मार्च

13 राज्य में : असम (5), बिहार (5), छत्तीसगढ़ (3), जम्मू कश्मीर (2), कर्नाटक (14), महाराष्ट्र (10), मणिपुर (1), ओड़िशा (5), तमिलनाडु (39), त्रिपुरा (1), यूपी (8), पश्चिम बंगाल (3), पुदुचेरी (1)।

तीसरा चरण : सीटें 115

मतदान : 23 अप्रैल

अधिसूचना : 28 मार्च

14 राज्य में : असम (4), बिहार (54), छत्तीसगढ़ (7), गुजरात (26), गोवा (2), जम्मू–कश्मीर (1), कर्नाटक (14), केरल (20), महाराष्ट्र (14), ओड़िशा (6), यूपी (10), बंगाल (5), दादरा एवं नगर हवेली (1)।

चौथा चरण : सीटें 71

मतदान : 29 अप्रैल

अधिसूचना : 2 अप्रैल

9 राज्य में : बिहार (5), जम्मू–कश्मीर (1), झारखंड (1), मध्य प्रदेश (6), महाराष्ट्र (17), ओड़िशा (6), राजस्थान (13), यूपी (13), बंगाल (8)।

पांचवां चरण : सीटें 51

मतदान : 6 मई

अधिसूचना : 10 अप्रैल

7 राज्य में : बिहार (5), जम्मू–कश्मीर (2), झारखंड (4), मध्य प्रदेश (7), राजस्थान (12), यूपी (14)।

छठा चरण : सीटें 59

मतदान : 12 मई

अधिसूचना : 16 अप्रैल

7 राज्य में : बिहार (8), हरियाणा (10), झारखंड (4), मध्य प्रदेश (8), यूपी (14), बंगाल (8), दिल्ली (7)।

सातवां चरण : सीटें 59

मतदान : 19 मई

अधिसूचना : 22 अप्रैल

8 राज्य में : बिहार (8), झारखंड (3), मध्य प्रदेश (8), पंजाब (13), पश्चिम बंगाल (9), चंडीगढ़ (1), यूपी (13), हिमाचल प्रदेश (4)।

90 करोड़ वोटर कर सकेंगे मताधिकार का इस्तेमाल

90 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 2014 से अब तक 8.4 करोड़ मतदाता बढ़े हैं। डेढ़ करोड़ मतदाता 18 से 19 साल के हैं। बीते चुनाव में 81 करोड़ वोटर थे। देश भर के 99.3 फीसद मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र है। 1095 पर एसएमएस के जरिए भी लोग मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।

21वीं सदी में जन्मे लोग पहली बार चुनेंगे केंद्र सरकार

यह पहला ऐसा आम चुनाव है, जब 21वीं सदी में जन्मे लोग मतदान कर सकेंगे। 2014 में हुए आम चुनाव के दौरान इस सदी में जन्मे लोगों की आयु 18 वर्ष नहीं थी। अब इस चुनाव में वे पहली बार देश की सरकार चुनने के लिए वोट डाल सकेंगे। •

होगा कि हम उन मुद्दों पर पहले विचार करेंगे जिनके आधार पर भाजपा की मोदी सरकार को हम जिता कर लाये थे। **इसमें पहला है**–विदेश से काला धन वापिस लाने और भ्रष्टाचार मिटाने का है, जो पूरा नहीं हुआ। **दूसरा है**–हर एक नागरिक के बैंक खाते में 15–15 लाख रुपये जमा कराने का, जो पूरा हुआ नहीं। **तीसरा है**–हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का जो पूरा हुआ नहीं। **चौथा है**–किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो हुई नहीं। **पांचवां है**–नोटबंदी से काला धन पर लगाम लगेगी–नहीं लगी। **छठा है**–जी.एस.टी. कर प्रणाली से व्यापार में सुधार होगा–नहीं हुआ। **सातवां है**–देश में अपने धर्म, भाषा, जाति की वजह से कोई उत्पीड़न नहीं होगा–पर जमकर उत्पीड़न, अपमान, ले जाकर साधारण बसों से ले जाने का आदेश किसने दिया। विस्फोटक पदार्थ से भरी गाड़ी विपरीत दिशा से आकर टकराने की घटना से सूचना तंत्र के फेल होने की जिम्मेदारी भी मोदी सरकार की है–यह देश की सुरक्षा के प्रति लापरवाही और कर्तव्य–निष्ठा निभाने के प्रति ढिलाई है।

इन उपरोक्त 12 मुद्दों पर आप गहराई से विचार करने के बाद फिर सच्चे मन से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक, धर्मनिरेपक्ष, लोककल्याणकारी, सर्वप्रिय, नई सरकार ला सकेंगे, जो देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता, समता, भाईचारा प्रदान कर सके, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा व न्याय मुहैया करा सके।

— डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक :

हिमायती

बी 3/9, दूसरी मंजिल,

माडल टाउन-1, दिल्ली-110009

मो. 9810278936,

फोन : 011-27421449

अंग्रेजी हुकूमत के क्यों खिलाफ थे मनुवादी लोग

• दिलीप मंडल बीबीसी पत्रकार

मनुस्मृति (ब्राह्मणों) द्वारा बरबाद किये गए भारतीय समाज, हिन्दुओं, दलितों और नारियों पर लार्ड मैकाले (अंग्रेजों) के महान उपकार के कारण अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने का जबरदस्त आंदोलन क्यों चलाया जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर काशीम ने 712 ई. में किया था। उसके बाद महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, इत्यादि ने हमले किये और फिर कुतुबदीन एबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिल्जी वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आदि ने वर्षों भारत पर राज किया और हिन्दुओं पर खूब अत्याचार किये, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी कोई क्रांति या आंदोलन उनके खिलाफ नहीं चलाया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों से समझोते कर न केवल ब्राह्मणों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दी बल्कि उनके आडंबरों, पाखंडों और अमानवीय कुव्यवस्थाओं में दखल भी नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के आडंबरों, पाखंडों, कुव्यवस्थाओं और विशेष अधिकारों को तोड़कर सभी पुरुषों, महिलाओं, धर्मों, शूद्रों, दलितों को समान अधिकार दे डाले जिससे ब्राह्मण तिलमिला उठे और उन्होंने अपने के लोगों के लिए समान कर दिया।

5. मनुस्मृति के विरुद्ध, सन् 1813 में ही अंग्रेजों ने दास प्रथा का अंत कानून बनाकर कर दिया।

6. मनुस्मृति के विरुद्ध, सन् 1817 में अंग्रेजों ने समान नागरिक संहिता कानून बनाकर प्रत्येक नागरिक के लिए समान न्याय व्यवस्था की। (1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर घोर भेदभाव पूर्ण था। एक अपराध के लिए ब्राह्मण को कोई सजा नहीं जबकि उसी अपराध के लिए शूद्र को कठोरतम दंड दिया जाता था।)

7. सन् 1819 के अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। (शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को दूल्हे के घर न जाकर कम से कम तीन रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी जिससे शूद्र स्त्री तो शुद्ध/पवित्र होती थी लेकिन हरामी ब्राह्मण अपवित्र नहीं होता था।) ब्राह्मणों शूद्रों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे।

8. सन् 1830 में अंग्रेजों ने नरबलि प्रथा पर पूर्ण रोक लगाई। (देवी–देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों (स्त्री या पुरुष) को मन्दिर में सिर पटक पटक कर मार कर भेंट चढ़ा देता था।)

15. अंग्रेजों ने देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के दबाव से शूद्र अपनी लड़कियों को मन्दिरों की सेवा के लिए दान कर देते थे। मन्दिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चे पैदा होने पर उन्हें फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 की जातिवार जन गणना के आंकड़ों के अनुसार अकेली मद्रास प्रेजीडेंसी में कुल जनसंख्या 4 करोड़ 23 लाख थी जिसमें 2 लाख से भी अधिक देवदासियां मन्दिरों में थीं। यह कुप्रथा अभी भी दक्षिण भारत के कुछेक मन्दिरों में अवैध रूप से चल रही है।

16. अंग्रेजों ने 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया।

17. 1849 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय जे.ईडी. बेटन ने स्थापित किया।

18. अंग्रेजों ने 1854 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई में स्थापित किये। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया।

19. अंग्रेजों ने 6 अक्टूबर, 1860 को भारतीय दंड संहिता बनाया जिसके द्वारा लार्ड मैकाले ने भारत में जाति, वर्ण, धर्म और लिंग के बिना एक समान दंड विधान लागू कर सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट डाला।

20. 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगाई (आलिशान भवन, पूल या कुआं निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिन्दा चिनवा दिया जाता था। ब्राह्मणों ने ऐसी मान्यता बना रखी थी कि ऐसा करने से भवन, पूल या कुआं ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे।)

21. 1867 में बहू विवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से अंग्रेजों की बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित की।

22. 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारम्भ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी।

23. 1872 में अंग्रेजों ने सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर बाल विवाह पर रोक लगाई।

24. अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया लेकिन गांधी, नेहरू जैसे सवर्णों के दबाव के कारण अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट को बंद कर दिया तथा महार रेजिमेंट में भर्तीयां सभी जातियों के लिए खोल दी गई।

25. रैयत वाणी पद्धति बनाकर अंग्रेजों ने प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि का स्वामी बनाकर उनसे बिना बिचौलिए के सीधा कृषि लगान लिया जाता था। (रैयत किसान को कहते हैं।)

26. 1918 में अंग्रेजों ने साउथ बरो कमेटी को भारत में भेजा। यह कमेटी भारत में सभी जातियों का विधि मण्डल (कानून बनाने की संस्था) में भागीदारी के लिए आया था। छत्रपति शाहूजी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भाष्कर राव जाधव ने एवं अछूतों ने नेता डा. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने लोगों की विधि मण्डल में भागीदारी के लिये मेमोरेंडम दिया।

27. अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया।

28. अंग्रेजों ने 1919 में ही ब्राह्मणों के जज बनने पर यह कहकर रोक लगा दी थी कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र यानि निष्पक्षता नहीं होती।

अनुचित, विवेकहीन और अमानवीय अधिकारों की आजादी को देश की आजादी कहकर जनता को भड़का कर आजादी का आन्दोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ की गई क्रांति और आंदोलन के कुछेक कारण थे—

1. मनुस्मृति के विरुद्ध अंग्रेजों ने सन् 1795 के अधिनियम 11 द्वारा शूदों को भी सम्पत्ति रखने का कानून बनाया जिसका सवर्णों, विशेषकर ब्राह्मणों ने विरोध किया। इस अधिनियम से पूर्व जाटों, अहीरों, गुर्जरों, पटेलों, कायस्थों, आदि शूद्र जातियों को भूमि का मालिकाना हक नहीं था।

2. मनुस्मृति के विरुद्ध सन् 1773 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 'रेगुलेटिंग एक्ट' पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित की गई। 6 मई, 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामन्त ब्राह्मण नन्द कुमार देव को फांसी दी गई थी।

3. सन् 1804 के अधिनियम 3 द्वारा अंग्रेजों ने कन्या हत्या पर रोक लगाई। (लड़कियों के पैदा होते ही तालु में अफीम चिपकाकर या मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर या गड्ढ़ा खोदकर उसमें दूध डालकर कन्या को डुबो कर मारा जाता था।)

4. मनुस्मृति के विरुद्ध, सन् 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सभी जातियों, दलितों, महिलाओं और धर्मों

9. सन् 1833 के अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी जिसे योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कम्पनी के अधीन किसी भी भारतीय नागरिक को जन्म–स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता था।

10. अंग्रेजों ने सन् 1834 में पहले भारतीय विधि आयोग का गठन किया। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था।

11. अंग्रेजों ने सन् 1835 में प्रथम पुत्र को गंगा दान प्रथा पर रोक लगाई। (ब्राह्मणों ने नियम बनाया था कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिये। आमतौर पर पहला पुत्र हृष्ट–पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ न पाए इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे।)

12. 7 मार्च, 1835 को लार्ड मैकाले ने शिक्षा नीति को राज्य विषय बनाकर उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देना अनिवार्य बना दिया। मैकाले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया।

13. 1835 में ही कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों (दलितों) को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया।

14. दिसम्बर 1829 के अधिनियम

दलितों का उत्पीड़न कब तक होता रहेगा?

• रतन चन्द रोझे

1. अभिषेक राणा ने युवा कांग्रेस की शिमला की बैठक में बताया कि भोरंज हमीरपुर की गरीब नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इसके बाद भी वहां कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। अभी तक कोई कार्रवाही नहीं हुई।

2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डाक्टर सिकन्दर की नियुक्ति की गई। इसकी नियुक्ति को जाति सूचक रंग रंगने में किसी ने कमी नहीं की। आज भी ऊंची जाति के लोगों में मनुवादी मानसिकता कायम है।

3. दलित बच्चों को स्कूल व आंगनबाड़ियों में 'मीड–डे–मील' के लिए अलग बिठाया जाता है। इसकी सरकार को जानकारी है। हमने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था। पर अभी तक कोई कार्रवाही नहीं हुई।

4. मन्दिरों में देवता के लिए बाजा बजाने वाले दलित होते हैं, परन्तु उनको मन्दिर में दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है जबकि देवताओं की आत्मा कई बार दलितों में आकर बोलती है।

5. सिरमौर के मकांडो गांव का दलित राजेन्द्र सिंह मन्दिर में गया। वहां उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। वह नाहन अस्पताल में इलाज करवा रहा है। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट साधारण मामला समझकर लिखी जबकि यह जाति आधार पर मारपीट का मामला है।

6. आज भी शिमला सिरमौर स्थानों पर शादी विवाह के अवसर पर दलितों के बाजा बजाने पर रोक है। यही नहीं, कई स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर पानी लेने पर भी दलितों के साथ मारपीट की गई।

7. बानाकोटी गांव में दलितों को मिलने वाली पानी की पाईप सवर्णों ने उखाड़ दी और पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। प्रतिनिधि मंडल बाद में नाहन अधिकारियों से मिला और अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। जबकि पुलिस के खिलाफ भी ये कार्यवाही की जानी चाहिए कि उन्होंने दलितों की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की?

8. भाजपा के उपाध्यक्ष श्री दया शंकर द्वारा बसपा अध्यक्ष सुश्री मायावती के प्रति अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये आदेश के कारण आरोपियों को तुरन्त गिरफ्तार करने पर रोक लगाई थी। उसके बाद दलित अत्याचारों में वृद्धि हुई और देश में इसका विरोध हुआ। इसमें वृद्धि का एक कारण पुलिस की कार्यवाही भी है।

9. कुल्लू मोहल की पंचायत में श्रीमती भीमा देवी सम्मानित दलित सदस्या हैं। प्रधान द्वारा उसे पंचायत में अपमानित शब्दों से अपमानित किया गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। उसके गवाहों ने पुलिस में उसके पक्ष में बयान दिये, परन्तु डी.एस.पी. ने बयान बदलकर प्रधान को बचाने के लिए कुछ और ही लिख डाला। भीमा देवी ने कोर्ट में केस किया और गवाहों को पेश करके ये साबित किया कि बयान मेरे नहीं हैं।

10. धूरल निवासी प्रकाश चन्द अपनी पोतियों को स्कूल से घर ला रहा था। रास्ते में उसने सार्वजनिक प्रयोग के लिए बने कूलर से अपनी पोतियों को पानी पिलाने का प्रयत्न किया। इस पर इस ऊंची जाति के लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पिटाई कर दी गई। दलितों के आरक्षण का विरोध तो लगातार हो रहा है। सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण के लिए आंदोलित हैं। हमने कई बार लिखा है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर दिया जाये। परन्तु जिन जातियों के कर्मचारी अधिकारी ज्यादा हैं, तब तक उनकी भर्ती पर रोक लगा दीजिए, और जिन्हें आरक्षण के आधार पर उनको लाभ नहीं मिला, उसे पूरा कर दीजिए।

हिमायती
4 / अप्रैल (प्रथम), 2019 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 अप्रैल, 2019

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 28 मार्च, 2019

बाबा साहब डा. अम्बेडकर की शौर्य गाथा–जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक

लाजपत राय

अम्बेडकर का जन्म महू (मध्य प्रदेश) में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उनके पिता श्री रामजी सकपाल वहां के स्थानीय सैनिक स्कूल में कार्यरत थे। सन 1904 में उनका परिवार बम्बई (अब मुम्बई) चला गया। वहाँ अम्बेडकर ने एलफिनस्टोन स्कूल से अपनी मैट्रिक की परीक्षा 1907 में उर्त्तीण की। छोटी आयु में ही उनका विवाह रमाबाई से हो गया। वर्ष 1912 में उन्होंने एलफिनस्टोन कालेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की।

बड़ौदा महाराज द्वारा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदान की जाने वाली एक छात्रवृत्ति की सहायता से अम्बेडकर ने वर्ष 1913 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जहां से उन्होंने अपनी एम.ए. तथा पी.एच.डी पूरी की। वर्ष 1916 में अम्बेडकर ने लन्दन स्कूल आफ इकोनिमिकस में एक और पी.एच.डी तथा उसी दौरान उन्होंने बार एट लॉ में भी प्रवेश लिया। परन्तु वर्ष 1917 में उन्हें अपनी सेवा शर्तों के मुताबिक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर बड़ौदा राज्य की सेवा हेतु लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी पढ़ाई की छात्रवृत्ति का खर्च वहीं से हुआ था। वहां उन्होंने लेखा विभाग में बड़े पद को सुशोभित किया। परन्तु नकारात्मक तथा जाति आधारित दुखद अनुभवों के कारण उन्हें वह नौकरी छोड़नी पड़ी।

स्थायित्व के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। बाद में उन्होंने सिडनेहम कालेज में प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। इस दौरान वे काफी सक्रिय रहे तथा 1919 में उन्होंने साउथबोरो कमेटी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अश्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन की मांग प्रस्तुत की। 'मूकनायक' पत्र की शुरुआत की। वर्ष 1920 में उन्होंने नागपुर में प्रथम अखिल भारतीय वंचित वर्ग सम्मेलन भी आयोजित किया। कोल्हापूर के शाहू महाराज की सहायता से उन्होंने वर्ष 1920 में फिर से लन्दन स्कूल आफ इकोनोमिकस में प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने अपनी पी.एच.डी भी पूरी की। उनका पी.एच.डी की थिसिस वर्ष 1923 में किंग एण्ड कम्पनी द्वारा प्रकाशित की गयी जिसका शीर्षक था, ''द प्राबलम आफ द रूपि : इटस ओरिजन एण्ड इटस सोल्यूशन''। उनकी कोलम्बिया विश्वविद्यालय की पी.एच.डी इसी प्रकाशन द्वारा 'द इवोलयूशन आफ प्रोविसिनल फाइनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया' भी 1925 में प्रकाशित की गयी। उसी समय बार एट ग्रेस इन, लन्दन से उन्होंने विधि की पढ़ाई भी पूरी की। उन्होंने बान यूनिवर्सिटी जर्मनी से पोस्ट डाकटोरल शोध भी पूरा किया। जून 1925 से मार्च 1928 तक उन्होंने बम्बई के एक अकाउन्टेसी ट्रेनिंग संस्थान में पार्ट टाईम अध्यापन भी किया। जून 1928 से मार्च 1929 तक वे विधि के प्रोफेसर भी रहे गर्वन्मेन्ट ला कालेज, बम्बई में।

वर्ष 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। वर्ष 1927 में उन्होंने प्रसिद्ध महाड़ सत्याग्रह आन्दोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्होंने इस आन्दोलन के दौरान 25 दिसम्बर 1927 को भेदभाव पर आधारित होने के कारण 'मनुस्मृति' का दहन भी किया। इसी वर्ष उन्होंने एक पाक्षिक जर्नल 'बहिष्कृत भारत' भी प्रारम्भ किया।

अम्बेडकर ने असमानता के लिए तथा अपने साथ जातिगत भेदभावों के लिए हिन्दू धर्म को जिम्मेदार माना और 1935 में उन्होंने यह संकल्प लिया कि समानता की प्राप्ति के लिए हिन्दू धर्म को त्यागना उचित रहेगा। परन्तु अनेक प्रकार की व्यस्तताओं के कारण धर्म परिवर्तन का यह मुद्दा अगले लिया। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में उनका और गांधी का आमना सामना हुआ जिसमें अश्पृश्यों को अलग से निर्वाचन दिये जाने के मुद्दे पर दोनों के मतभेद खुल कर सामने आये। अश्पृश्यों को वर्ष 1932 में अलग निर्वाचत की मांग कम्यूनल अवार्ड के तहत दे दी गयी जिसका गांधी ने यह कह कर विरोध किया कि वे इसे लागू ना होने देने के लिए आमरण अनशन करेगे। गांधी के जीवन की रक्षा के लिए एक समझौता किया गया जिसे 'पूना पैकट' कहते हैं। इसके बाद गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गयी। अम्बेडकर को उसकी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया परन्तु मतभेदों के कारण अम्बेडकर ने उस पद को 1933 में छोड़ दिया।

तेजी से बदलते घटनाक्रम और भारत की स्वतन्त्रता ने अम्बेडकर हेतु एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया। नेहरू ने उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण हेतु प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर भारतीय संविधान एक दुर्लभ कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। इससे विभाजन के कारण अम्बेडकर को बंगाल की अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। उन्हें कांग्रेस के सहयोग से संविधान सभा के लिए बम्बई से चुनाव जिताया गया। अगस्त, 1947 में उन्होंने नेहरू मंत्रीमंडल में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मन्त्री का पद ग्रहण किया। वर्ष 1948 में अम्बेडकर ने शारदा कबीर जो कि एक डाक्टर तथा सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थी, विवाह कर लिया। वर्ष 1950 में उन्होंने बौद्ध धर्म को एक व्यक्तिगत धर्म, एक विचारधारा जो हिन्दू धर्म का सहज विकल्प था को अपने आचरण में उतारना प्रारम्भ कर दिया। वर्ष 1949 में उन्होंने काठमांडू में 'वर्ल्ड बुद्धिस्ट कान्फ्रेन्स' में हिस्सा लिया तथा 'मार्किसम वरसेज बुद्धिज्म'

ये गांधी के भक्त

प्रेमचन्द, निराला और द्विवेदी
ये तीनों मनु की संतान हैं
मिशन इनका एक है
पर रास्ते अलग–अलग हैं।
ये सब वर्ण और
जाति के पुजारी हैं।
ये तीनों ही असली
गांधी के उत्तराधिकारी हैं।
दलितों पर लिखना
इनका मात्र पेशा था
दम नहीं वर्ण व्यवस्था के
विरोध में लिखें या बोलें
क्योंकि ये तीनों
हिन्दू संस्कृति के रक्षक
और गांधी जी के भक्त हैं।
गांधी के हरिजन सुधार आंदोलन से
हरिजनों का कितना सुधार हुआ,
प्रेमचंद, निराला और द्विवेदी के
साहित्य से दलितों में
कितनी चेतना आयी है?
कितना दलित आन्दोलन हुआ
और कितने दलितों ने
जमीदारों से मुक्ति पायी है?
यदि फुले, अम्बेडकर न होते
तो दलितों का उद्धार न होता
न इनको आजादी मिलती
न इनको अधिकार मिलता
इसलिए मैं कहता हूं कि
गांधी के भक्तों के साहित्य से
दलितों का कल्याण न होगा
क्योंकि मैं.....
मैं सिर्फ मानव हूं
इसलिए मैं
मानवता की बात करता हूं
मैं सत्य को मानता हूं।
इसलिए सत्य को
ध्यान में रखकर लिखता हूं।
इसीलिए तो पत्र–पत्रिका वाले
मेरे विचारों को छापते नहीं हैं
क्योंकि मैं चापलूस कवि नहीं हूं।
मैं सूर, तुलसी नहीं हूं
जो झूठी शान और लालच में
घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके
लिखूं सिर्फ अपने स्वार्थ में,
अन्ध विश्वास में,
प्रेम रस लीला की अमर गाथा।
मैं चटर्जी, सुभद्रा, टैगोर नहीं हूं
जो विदेशियों को खुश करने के लिए
लिखूं राष्ट्रगीत की कविता
और अंग्रेजों की चापलूसी करके
उनकी झूठी वीर गाथा लिखकर
राष्ट्र कवि कहलाऊं।

– राजेश कुमार बौद्ध

इसी दौरान अम्बेडकर अनेक सामाजिक परिर्वतन के कार्यों से भी जुड़ गये। उन्होंने बम्बई विधान सभा में एक बिल प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य जूनियर अधिकारियों को भेदभावपूर्ण कार्यों से मुक्ति दिलाना था। वर्ष 1927 में उन्होंने समाज एकता संघ तथा समता सैनिक दल का गठन किया। उनकी बम्बई विधान सभा की सदस्यता का नवीकरण 1932 में फिर से किया गया। उन्होंने वर्ष 1928 में डिप्रेसेड कलासेस एजूकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिससे हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को होस्टल की सुविधा भी प्रदान की गयी। वर्ष 1930 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। यह था कालाराम मन्दिर प्रवेश आन्दोलन जिसके तहत अस्पृश्यों को मन्दिर में प्रवेश की रोक को हटाना था। वर्ष 1930 में अम्बेडकर को आल इण्डिया डिप्रेसेड कलासेस कांग्रेस का अध्यक्ष नागपुर में चुना गया। 'जनता' नामक एक पाक्षिक पत्र भी उनके द्वारा इसी वर्ष शुरू किया गया जो एक वर्ष बाद साप्ताहिक हो गया।

वर्ष 1930 में ही उन्होंने प्रथम गोल मेज सम्मेलन इंगलैंड में भाग 20 वर्षो तक स्थगित रहा। वर्ष 1936 में उन्होंने लाहौर के आर्य समाज के एक सम्मेलन के लिए एक लम्बा भाषण लिखा जो वो नहीं दे पाये। उन्होंने उसे एनिहिलेशन आफ कास्ट के नाम से प्रकाशित करवाया। इसके कारण उनके और गांधी के बीच फिर से वाद–संवाद कुछ समय के लिए शुरू हुआ। इसी वर्ष उन्होंने 'लेबर पार्टी' की स्थापना की। वर्ष 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद उन्होंने, 'पाकिस्तान और भारत का विभाजन' नामक विषय पर भी लेख लिखा। वर्ष 1942 में उन्होंने 'शेडूयल कास्ट फेडेरेशन' की स्थापना की। इसी वर्ष उन्होंने 'मिस्टर गांधी एण्ड द इमेनसिपेशन आफ द अनटचेबल' पुस्तक भी लिखी।

अम्बेडकर को वायसराय की काउन्सिल में पांच वर्ष के लिए चुना गया था। वर्ष 1946 से अम्बेडकर ने भविष्य के भारत में अश्पृश्यों की स्थिति क्या होगी के स्पष्टीकरण के लिए अपना आन्दोलन तेज कर दिया। वर्ष 1945 में उन्होंने 'व्हाट द कांग्रेस एण्ड द गांधी हेव डन टू द अनटचेबलिस?' तथा वर्ष 1946 में 'व्हू वर द शुद्रास?' नामक पुस्तक लिखी।

ग्रंथ लिखा। वर्ष 1950 में 'द बुद्धा एण्ड फ्यूचर आफ हिज रिलिजियन' लिखा। वर्ष 1952 में कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने विशेष दीक्षान्त समारोह में उन्हें 'डाक्टर आफ ला' तथा 'डी लिट्ट' की उपाधि प्रदान की। वह वर्ष 1954 में बुद्ध धर्म की व्यक्तिगत शिक्षा हेतू कोलम्बो गये। वर्ष 1955 में उन्होंने रंगून में 'वर्ल्ड बुद्धिस्ट कान्फ्रेन्स' में भाग लिया। और आखिरकार वह समय भी आया जब अम्बेडकर ने अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जो उन्होंने इन शब्दों में की थी, ''मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ यह मेरे वश में नहीं था परन्तु मैं यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं मेरी मृत्यु हिन्दू धर्म में नहीं होगी।''

अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। नवम्बर 1956 में वे फिर से नेपाल गये जहां उन्होंने 'वर्ल्ड बुद्धिस्ट कान्फ्रेन्स' में हिस्सा लिया तथा 'कार्ल मार्क्स और बुद्धा' नामक विषय पर भाषण दिया। 6 दिसम्बर, 1956 को महापरिनिर्वाण से पूर्व उन्होंने अपनी एक और शानदार कृति विश्व को भेंट स्वरूप दी। वह है 'बुद्ध एण्ड धम्मा'।•

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 **Email-sumanakshar@ymail.com**
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009